



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6734

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 399 वर्ष 2026

अजयआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : शांतनु, विक्रम सिंह श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री शांतनु, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 54 वर्ष 2025, धाराओं 115(2), 352, 351(3), 117(2), 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - बालाबेहट, जिला - ललितपुर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, दिनांक 14.08.2025 को लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न आवेदक द्वारा सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के भाई पर उस समय हमला करके सिर में चोट पहुँचाना बताया गया है जब वह अपने खेत में खाद डाल रहा था।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। यह अचानक उत्तेजना का मामला है। यह प्रकरण हत्या न होने वाले आपराधिक मानव-वध से आगे नहीं जाता।
6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग 11 घंटों की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मृतक को तीन चोटें आई हैं, जबकि अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या दो बताई गई है। आवेदक सहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृतक का मृत्युकालीन कथन दर्ज नहीं किया गया।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 28.08.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य को विवादित नहीं कर सके।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं, प्रथम दृष्टया मुझे यह मामला आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **अजय** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)



12 जनवरी, 2026

सिद्धांत

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।